न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 17 / 2024	2024 / 39	02.07.2024	26.05.2025

1. अन्जुला उर्फ अन्जु पत्नी स्व0 श्री हरपाल सिंह,
2. सूर्य प्रताप सिंह उर्फ नीटू पुत्र स्व0 श्री हरपाल सिंह,
3. भानू प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री हरपाल सिंह,
   जातियान राजपूत निवासीयान माधोगढ तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

——अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ़ तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 04.01.2008 नामा0 संख्या 196 वाके ग्राम माधोगढ़।

उपस्थितः—
01. श्री श्योराम सिंह नरूका — वकील अपीलाण्ट
02. श्री राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट्स ने यह अपील अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 04.01.2008 नामा0 संख्या 196 वाके ग्राम माधोगढ़ से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अपील अपीलाण्ट्स द्वारा अपील के समर्थन में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि खाता संख्या 30 के कुल खसरा किता 2 रकबा 1.40 है0, खाता संख्या 111 खसरा नंबर 329 रकबा 0.05 है0. गैर मुमकिन चाह व खाता संख्या 112 कुल खसरा किता 26 रकबा 11.90 है0. व खाता संख्या 113 कुल खसरा किता 2 रकबा 0.76 है0. वाके ग्राम माधोगढ पटवार हल्का पलवा तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जो आराजी हरपालसिंह पुत्र श्योराम सिंह राजपूत की खातेदारी की आराजी है और हरपाल सिंह पुत्र श्योराम सिंह उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार था। हरपाल सिंह पुत्र श्योराम सिंह का देहान्त दिनांक को हो गया तदउपंरात राजस्व कैम्प में दिनांक 04.01.2008 को पटवारी हल्का द्वारा बोलते नामों से इंतकाल संख्या 196 दर्ज कर दिया गया, जबकि अपीलांटान के सही नाम दर्ज नहीं किये। गांव में बोलते हुये नाम से ही गांव वालो के कहने से कैम्प में दर्ज कर दिये व उस ही दिन दिनांक 4—1—2008 को इंतकाल तहसीलदार राजगढ ने तस्दीक कर दिया। जिसकी पूर्व में अपीलांटान को कोई जानकारी नही थी। सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 13—6—24 को जब अपीलांट ने पटवारी हल्का से राजस्व रेकार्ड की जानकारी की तो पटवारी हल्का ने बोलते नामो से इंतकाल तस्दीक होने की जानकारी दी जिस पर मिन अपीलांट ने नकल इंतकाल हेतु दिनांक 13—6—24 को आवेदन किया जो नकल दिनांक 13—6—24 को सांयकाल प्राप्त हो गयी तदउपंरात मिन अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त इंतकाल की कापी दिखलाई और सलाह मशवरा किया तो वकील साहब से अपील करने की सलाह दी जिस पर अपीलांट ने अपील हेतु पैसों का इंतजाम किया ओर इंतजाम कर यह अपील जानकारी से बिला देरी पेश की जा रही है अवधी मुजरा दिय जाने हेतु दफा 5 मयादअधि० का अलग से पेश है। अपील निम्न तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

तहसीलदार राजगढ के द्वारा निर्णित इंतकाल के विरूद्ध अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को है इसलिये अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जा रही है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 4–1–2008 का है जिनकी जानकारी मिन अपीलांट को 13–6–24 को जब अपीलांट पटवारी हल्का के पास गयी तो उन्होने जानकारी दी इससे पूर्व हम अपीलांट को कोई जानकारी उक्त इंतकाल खारिज बाबत नही थी। जिससे अपील मामूलन अंदर अवधी पेश है।

मृतक हरपाल सिंह पुत्र श्योराम सिंह का सजरा निम्न प्रकार है –

हरपाल सिंह – **मृतक**

अंजुला उर्फ अंजू (पत्नी)	सूर्यप्रताप सिंह उर्फ नीटू (पुत्र)	भानूप्रताप सिंह उर्फ मोनू (पुत्र)

उक्त इंतकाल राजस्व कैम्प में पंचायत हैडक्वार्टर पर दर्ज हुआ था अपीलांटस द्वारा कोई आवेदन नही किया गया था ओर ना ही अपीलांट को सुना गया अपीलांट के पीछे से इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया। इंतकाल में बोलते हुये नाम अंजू नीटू व मोनू जो हरपाल सिंह के जायज व प्रथम श्रेणी में वारिस है जिनका सही नाम अन्जुला, सूर्य प्रताप सिंह व भानू प्रताप सिंह है। ये ही सही नाम स्कूल की दसवीं कक्षा के रेकार्ड में दर्ज है व जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है व तीनो के आधार कार्ड में भी ये ही नाम दर्ज है। इसलिये बोलते नामों को दुरूस्त कर दस्तावेजी नाम के आधार पर इंतकाल में दर्ज कर स्वीकार किये जाने योग्य है। इसलिये यह अपील पेश करना लाजिम आया है।

इंतकाल के तहत आराजी पर हम अपीलांट आज भी काबिज है ओर हमारा कब्जा बहैसियत खातेदार काश्तकार है। अतः अपील अपीलाट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ का आदेश दिनांक 04.01.2008 बाबत नामान्तकरण संख्या 196 वाके ग्राम माधोगढ तहसील राजगढ में अपीलांटस के नाम दुरूस्त किये जाकर इंतकाल में सही नाम अन्जुला पत्नी स्व० हरपाल सिंह, सूर्य प्रताप सिंह पुत्र स्व० हरपाल सिंह व भानू प्रताप सिंह पुत्र स्व० हरपाल सिंह, अंकित किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि नामान्तकरण संख्या 196 वाके माधोगढ तहसील राजगढ जिला अलवर में तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय में अपीलाण्ट कक वास्तविक नाम के स्थान पर बोलता हुआ नाम सहवन दर्ज हुआ है, जिसे शुद्ध किया जाना न्यायोचित है।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.01.2008 के विरूद्ध दिनांक 02.07.2024 को पेश की गयी है जो करीब 16 साल 05 माह 29 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ द्वारा दर्ज व स्वीकार नामान्तकरण संख्या 196 दिनांक 04.01.2008 एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दर्ज व स्वीकार इंतकाल से स्पष्ट है कि उक्त इंतकाल राजस्व अभियान कैम्प पलवा में तस्दीक व स्वीकार किया गया है। पत्रावली में संलग्न अपीलाण्ट्स अन्जुला उर्फ अन्जु, सूर्यप्रताप सिंह उर्फ नीटू, भानूप्रताप सिंह उर्फ मोनू का आधार कार्ड, स्कूल की कक्षा 10 की अंकतालिका व जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि में अपीलांट्स का सही एवं वास्तविक नाम अन्जुला पत्नी स्व0 श्री हरपाल

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, भानू प्रताप सिंह पुत्रान स्व0 श्री हरपाल सिंह है जिसका घर का बोलता नाम अंजू पत्नी स्व0 श्री हरपाल सिंह, नीटू, मोनू पुत्रान स्व0 श्री हरपाल सिंह दर्ज किया गया है। अपीलाण्ट के वास्तविक नामों की ताईद में तहसीलदार राजगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर अवगत कराया है कि अपीलाण्ट अन्जुला उर्फ अन्जु पत्नी स्व0 हरपाल सिंह, सूर्यप्रताप सिंह उर्फ नीटू एवं भानूप्रताप सिंह उर्फ मोनू पुत्रान हरपाल सिंह राजस्व ग्राम माधोगढ़ के निवासी है एवं वर्तमान में गुर्जर कॉलोनी बख्तल की चौकी अलवर में निवास करते हैं। तहसीलदार राजगढ़ की रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न अपीलाण्ट के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकतालिका इत्यादि से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट्स अन्जुला उर्फ अन्जु, सूर्यप्रताप सिंह उर्फ नीटू, भानूप्रताप सिंह उर्फ मोनू के वास्तविक नाम अन्जुला पत्नी हरपाल सिंह, सूर्यप्रताप सिंह व भानूप्रताप सिंह पुत्रान स्व0 श्री हरपाल सिंह के जायज वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय अपीलांटान के पत्नी/पुत्रान के वास्तविक नाम अन्जुला, सूर्यप्रतापसिंह व भानूप्रताप सिंह की सही जांच किये बिना नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो एक विधिक त्रृटि है। अपीलाण्ट्स के पत्नी/पुत्रान के बोलते हुए नामों के स्थान पर वास्तविक नाम दुरूस्त किया जाकर दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपी0 आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ का आदेश इन्तकाल सं0 196 दिनांक 04.01.2008 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलाण्ट्स के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की अंकतालिका एवं रिपोर्ट मौका पटवारी हल्का पलवा के अनुसार अपीलाण्ट्स अन्जुला उर्फ अन्जु, सूर्यप्रताप सिंह उर्फ नीटू, भानूप्रताप सिंह उर्फ मोनू के वास्तविक नाम अन्जुला पत्नी हरपाल सिंह, सूर्यप्रताप सिंह व भानूप्रताप सिंह पुत्रान स्व0 श्री हरपाल सिंह, के अनुसार वारिसान की जांच कर नियमानुसार इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)